FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0176 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/07/2026 15:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 29/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 29/06/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:57 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/07/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/07/2026 15:01:23 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 270 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** ROOM NO 104, HOTEL ROYAL EMBASSY, JIL BHILAWARA
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MOHAMMAD SHARAFAT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SAFI MOHAMMAD

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1967 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MOHAMMADI COLONY SHASTRI NAGAR, Kotwali Bhilwara, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MOHAMMADI COLONY SHASTRI NAGAR, Kotwali Bhilwara, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	TAPESH GOSAI		पिता:LETE.LALAN GOSAI	1. PATRAKAR COLONY JAWARA,औद्योगिक क्षेत्र जावरा, रतलाम ,मध्य प्रदेश,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन इस प्रकार है कि दिनांक 29.06.2026 को समय 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मो. शराफत पुत्र श्री शफी मोहम्मद शेख निवासी मोहम्मदी कॉलोनी, शास्त्रीनगर भीलवाडा ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे भाई मो. लियाकत शेख पुत्र शफी मोहम्मद शेख के विरूद्व श्री रतन जांगिड नामक व्यक्ति ने एक झुठा प्रकरण पुलिस थाना औधौगिक क्षैत्र, रतलाम (म.प्र.) मे दर्ज करवाया उक्त मुकदमे मे मेरे भाई मो. लियाकत को धोखे मे रखकर गिरफतार कर लिया। कल दिनांक 28.06.2026 को औधौगिक थाना रतलाम मध्यप्रदेश की पुलिस मेरे भाई को लेकर भीलवाडा आये तथा बसन्त विहार मे स्थित होटल रॉयल एम्बेसी भीलवाडा मे कमरा नंबर 104, 105 मे रूके हुए है। मेरे भतीजे मोहम्मद अनीस के फोन आया तथा हमारे को होटल रॉयल एम्बेसी बुलाया। जिस पर हम दोनो होटल रॉयल एम्बेसी मे जाकर पुलिस वालो से मिले तो दिवान साहब श्री तपेश गौसाई जी ने हमको बोला कि तुम्हारे भाई को रिलीफ दूंगा तथा मारपीट नही करूगा व गवाह के बयान भी तुम्हारे बचाव मे लिखूगा, जिसके लिये मुझे 1.10 लाख रूपये खर्चे पानी के देने होगे, जिस पर मेरे भतीजे मोहम्मद अनीस ने 10,000 रूपये उसी समय दिवान साहब को दे दिये तथा शेष 1 लाख रूपये देने के लिये दबाब बना रहे है। मैं श्री तपेश गौसाई को 1 लाख रूपये रिश्वत के नही देना चाहता हॅू, बल्कि रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू। परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि मेरी व दिवान साहब श्री तपेश गौसाई की कोई उधार का लेन देन बकाया नही और ना ही आपसी रंजिश है। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यो की ताईद की तथा उक्त रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) के अन्तर्गत आना प्रथम दृष्टिया दृष्टि गोचर होता है। आईन्दा रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जायेगा। समय 02.34 पी.एम पर परिवादी ने बताया कि मेरे पास मध्यप्रदेश पुलिस के मो.न. से फोन आया। जिसको मे उठाने लगा, इतने मे फोन कट गया, जिस पर परिवादी के मो.न. से मध्यप्रदेश पुलिस के मो.न. पर फोन लगाया, परन्तु रिंग जाने पर फोन नही उठाया। तत्श्चात पुनः मध्यप्रदेश पुलिस के मोबाईल नंबर से परिवादी के मो.न. पर फोन आया, फोन को स्पीकर आंन कर हुई वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड हुई वार्ता अनुसार परिवादी के भाई मो. लियाकत शेख ने मोबाईल पर बात की तथा परिवादी को नगर निगम भीलवाडा से फ्री होकर एम.जी.एच. भीलवाडा मे मेडीकल करवाने की बताया तथा परिवादी को अतिशीघ्र राशि की व्यवस्था करने हेतु कहा गया तथा वार्ता में परिवादी द्वारा कहा गया कि मेरी दिवान साहब से वार्ता कराओ तो परिवादी के भाई ने कहा कि दिवान साहब पीछे खडे सुन रहे है और फोन पुलिस जाप्ते को दे दिया। जिस पर अगले वार्ता करने वाले ने अपने आप को एएसआई बताया जिसको परिवादी ने कहा कि मुझे राशि की व्यवस्था करने में समय लग रहा है, जिस पर एएसआई द्वारा कहा गया कि हमे भी समय लगेगा। चुकि परिवादी ने बताया कि मेरे से पैसो की मांग दिवान साहब ही कर रहे है तथा आगे भी पैसो के संबध में वार्ता दिवान साहब ही करेगें व प्रकरण का अनुसंधान भी उनके पास ही है। जिस पर समय 03.15 पी.एम पर कार्यालय के मालखाना में से श्री प्रेमराज कानि से डिजीटल वॉयस रिकोर्डर मय खाली नया मेमोरी कार्ड मंगवाया/निकलवाया जाकर परिवादी को वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि अभी मेरे भाई मोहम्मद लियाकत का रतलाम पुलिस द्वारा महात्मा गॉधी राजकीय चिकित्सालय भीलवाड़ा में स्वास्थ्य परिक्षण करवाने हेतु हॉस्पीटल आ रहे मैं दीवान साहब से तपेश गोसाई से एमजीएच मे जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन से सम्बन्धित वार्ता करवा सकता हुं जिस पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर कानि श्री प्रेमराज को सिपुर्द किया जाकर परिवादी के साथ रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु रवाना किया गया। समय 03.30 पी.एम पर चुंकि गोपनीय कार्यवाही का आयोजन किया जाना है, जिसमे दो स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल भीलवाडा के नाम तहरीर दी जाकर श्री मधुसूदन, सहायक उप निरीक्षक को रवाना किया गया। समय 04.00 पी.एम पर श्री मधुसूदन सहायक उप निरीक्षक मय दो स्वतन्त्र गवाह लेकर हाजिर कार्यालय आया । जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम 1. श्री राकेश अगवाल पुत्र श्री रामस्वरूप अगवाल उम्र 42 साल निवासी म.न.- बी, शिवम ग्रीन पार्क कॉलोनी डी-मार्ट के सामने, 100 फिट रोड

भीलवाड़ा हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता (एफ.आई.एस.) द्वितीय अ.वि.वि.नि.लि. भीलवाडा 2. श्री राकेश तलेसरा पुत्र श्री करण सिंह तलेसरा उम्र 55 साल निवासी 94 विघुत नगर भीलवाडा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय लेखाधिकारी (ओ एंड एम) अ.वि.वि.नि.लि. भीलवाडा होना बताया। जिनको कार्यालय कक्ष मे बिठाया गया। समय 04.40 पी.एम पर श्री प्रेमराज कानि 225 मय परिवादी श्री मो. शराफत के हाजिर कार्यालय आये, श्री प्रेमराज कानि ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं एसीबी कार्यालय भीलवाडा द्वितीय से परिवादी के साथ रवाना होकर एम.जी.एच हॉस्पीटल भीलवाडा पहॅुचे। परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सिपूर्द किया जाकर रिश्वत राशि का मांग का सत्यापन करवाने हेतु रवाना किया। थोडी देर बाद परिवादी आया जिसने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड चालु हालत मे प्रस्तुत किया जिसको लेकर मैने बंद किया। परिवादी ने बताया दिवान साहब तपेश गौसाई यहां वार्ता नही करेगे। होटल रॉयल एम्बेसी मे ही वार्ता करेगे। जिस पर मैं व परिवादी दोनो रवाना होकर होटल रॉयल एम्बेसी बसन्त विहार भीलवाडा के पास पहॅुचे। परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सिपूर्द किया जाकर रिश्वत राशि का मांग का सत्यापन करवाने हेतु होटल रॉयल एम्बेसी भीलवाडा के लिये रवाना किया गया। मैं होटल रॉयल एम्बेसी के पास परिवादी का इन्तजार करने लगा। करीब 20-22 मिनट पश्चात परिवादी मेरे पास जिसने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु हालत मे प्रस्तुत किया जिसको लेकर मैने बंद किया तथा अपने पास सुरक्षित रखा तथा रवाना होकर एसीबी कार्यालय आये। परिवादी ने श्री प्रेमराज कानि के उक्त कथनो की ताईद करते हुए बताया कि होटल रॉयल एम्बेसी मे मेरी वार्ता दिवान साहब तपेश गौसाई से हुई थी। जिन्होने मेरे से 1 लाख रूपये रिश्वत की मांग की तथा रिश्वत राशि आज अभी 6 बजे से पहले देने के लिये कहा है। डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सुना गया तो उक्त कथनो की ताईद हुई तथा रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया। कार्यालय मे मौजुद दोनो स्वतन्त्र गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस के कक्ष मे बुलाकर उनका परिचिय परिवादी से आपस मे करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश को दोनो गवाहान को सुनाये गये। दोनो गवाहान को की जाने वाली ट्रैप कार्यवाही मे स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर दोनो गवाह ने अपनी अपनी सहमति प्रदान की परिवादी के प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.05 पी.एम पर श्री नारायण कानि 53 को सरकारी मोबाईल फोन मय नया मेमारी कार्ड 64 जीबी सुपुर्द कर ट्रैप कार्यवाही के दौरान मौके की विडियोग्राफी करने के आवश्यक निर्देश दिये गये। समय 05.10 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय मे उपस्थित श्री मोहम्मद शराफत पुत्र सफी मोहम्मद उम्र 59 साल निवासी मोहम्मदी कॉलोनी शास्त्रीनगर भीलवाडा को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से व्यवस्था अनुसार 500-500/-रू के 100 नोट कुल राशि पचास हजार रूपये (50,000/-) भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए किये, भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया, तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से फिनौफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्री रामेश्वर लाल कानि 250 से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। उक्त पाउडर युक्त राशि 50,000/- रूपये श्री रामेश्वर लाल कानि से परिवादी श्री मोहम्मद शराफत की पहने हुई पेंट की दांहिनी जेब में रखवाये गये। श्री भुपेन्द्र कुमार कानि. 305 से एक पारदर्शी साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री रामेश्वर लाल कानि की हाथ की अंगुलियों, अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार दृष्टान्त देकर परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की उपयोगिता एवं उसके महत्व से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त कर लेगा तो यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी। इसके बाद उक्त गुलाबी घोल को श्री रामेश्वर लाल कानि से कार्यालय से बाहर फिकवाया गया तथा जिस सादे कागज पर नोटों को रखकर फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया उस कागज को एवं पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलवाया गया तथा फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को श्री रामेश्वर लाल कानि से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उन्हें देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उनके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदेशन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी को देखते हुए ईशारा करे या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर निर्धारित ईशारा करें। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली शिशियां, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री रामेश्वर लाल कानि से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी के आस पास रह कर परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। इसके बाद ट्रेप पार्टी के सदस्यो को बुला कर सभी का आपस में परिचय कराया एवं परिवादी के अलावा सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को हिदायत दी जाकर सभी सदस्यों के हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री रामेश्वर लाल कानि को कार्यालय

हाजा में छोडा। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.50 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, नरपत सिंह, श्री मधुसूदन स.उ.नि, श्री प्रहलाद कुमार स.उ.नि. मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री राकेष अगवाल, श्री राकेश तलेसरा मय लेपटॉप प्रिन्टर मय आवश्यक लेखन सामग्री के वाहन सरकारी मय चालक विनोद कुमार कानि व प्राईवेट वाहन के श्री भूपेन्द्र कुमार कानि, श्री जितेन्द्र कुमार कानि, श्री नारायण लाल कानि मय सरकारी फोन मय मेमोरी कार्ड मय परिवादी श्री मोहम्मद शराफत को उसके स्कूटर से रवाना कर परिवादी के पीछे-पीछे श्री गोपाल जोशी स.उ.नि, श्री शिवराज सिंह कानि को गोपाल जोशी के स्कुटर पर तथा श्री प्रेमराज कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड मय उसकी मोटरसाईकिल से होटल रॉयल एम्बेसी भीलवाडा के लिए ट्रैप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 05.58 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के होटल लैडमार्क भीलवाडा के पास मेन रोड पर पहॅुचे, परिवादी को कानि प्रेमराज ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड चालुकर परिवादी को सिपूर्द किया जाकर होटल रॉयल एम्बेसी के लिए रवाना किया। परिवादी के पीछे-पीछे श्री गोपाल जोशी स.उ.नि. श्री प्रेमराज कानि, श्री नारायण लाल कानि, श्री शिवराज कानि को रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के निर्धारित ईशारे के ईन्तजार में मुकिम हुए। समय 07.05 पी.एम पर दर्ज रहे कि समय 06.57 पी.एम. पर परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस्ड कॉल कर निर्धारित ईशारे के रूप मे किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त दोनो स्वतन्त्र गवाह मय ट्रैप पार्टी के सदस्य, श्री गोपाल जोशी स.उ.नि. श्री मधुसुदन स.उ.नि. श्री प्रहलाद पारीक स.उ.नि. श्री प्रेमराज कानि, श्री शिवराज सिंह कानि, श्री नारायण लाल कानि, श्री भुपेन्द्र कुमार कानि, श्री जितेन्द्र कानि मय प्राईवेट वाहन व सरकारी बोलेरो मय ट्रैप बाक्स के होटल रॉयल एम्बेसी के अन्दर प्रवेश प्रथम तल पर पहॅुचे, जहां पर कमरा संख्या 104 के बाहर पहॅुचे तथा कमरा आधा खुला हुआ था। कमरे मे सामने परिवादी खडा हुआ दिखाई दिया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के कमरा नंबर 104 मे प्रवेश किया तो कमरे मे परिवादी व उसके पास दोनो बैड के बीच मे एक पुलिस की वर्दी पहने हुए व्यक्ति खडा हुआ मिला। परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालु हालात मे प्रस्तुत किया जिसको लेकर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने बंद कर अपने पास रखा, इसके पश्चात परिवादी ने पास ही खड़े वर्दीधारी व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यह श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी पुलिस थाना औधौगिक क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) है, जिन्होने मेरे से 1.10 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर अभी-अभी 50,000 रूपये लेकर अपने बांये हाथ मे लेकर वर्दी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब मे रख लिये, इसके पश्चात बीएनएसएस मे अंकित प्रावधानो के अनुसार श्री नारायण लाल कानि से विडियोग्राफी करना प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त वर्दी धारी व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो अपना नाम श्री तपेश गोसाई पुत्र स्व. श्री ललन गोसाई, उम्र 40 वर्ष निवासी पत्रकार कॉलोनी, जावरा पुलिस थाना औधोगिक क्षैत्र जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.) हाल प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) होना बताया। जिस पर श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी नंबर 212 को परिवादी की और ईशारा कर पूछा कि आपने अभी-अभी परिवादी श्री मोहम्मद शराफत से पुलिस थाना औधौगिक क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) पर दर्ज प्रकरण संख्या 462/2026 मे गिरफतारशुदा मुल्जिम श्री मोहम्मद लियाकत पुत्र श्री शफी मोहम्मद के साथ मारपीट नही करने एवं उक्त प्रकरण मे गिरफतारशुदा मुल्जिम मोहम्मद लियाकत की मदद करने की एवंज मे 50,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की है क्या जिस पर श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी नंबर 212 ने बताया कि मोहम्मद शराफत ने जबदस्ती मेरी पेन्ट की जेब मे डाल दिये मैंने इनसे किसी प्रकार की रिश्वत की मांग नही की है। जिस पर पास ही खडे परिवादी ने आरोपी तपेश गोसाई की उक्त बात का खडन करते हुए स्वतः बताया कि श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी ने मेरे से 1,10,000 रूपये रिश्वत की मांग की जिसमे से 10,000 रूपये मैने सुबह तपेश गौसाई को दे दिये शेष राशि मे से 50,000 रूपये इनकी मांग अनुसार मैने अभी इनको दिये जो इन्होने अपने बांये हाथ मे लेकर वर्दी की पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब मे रख लिये जो अभी भी इनकी जेब मे रिश्वत राशि रखी हुई है। आरोपी श्री तपेश गौसाई ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे साथ थाने से एक स.उ.नि. श्री कैलाश सैनी भी आये हुए है जो पास स्थित कमरा नंबर 105 मे मुल्जिम की निगरानी मे है तथा आरोपी बताया कि कैलाश सैनी को इस कमरे मे बुलाकर लाने तथा उनके सामने आगे की कार्यवाही करने हेतु कहा, जिस श्री गोपाल जोशी स.उ.नि. को भेजकर श्री कैलाश सैनी को कमरा नंबर 104 मे बुलाया तथा उसको अपना परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो श्री कैलाश सैनी पुत्र शम्भुदयाल सैनी उम्र 54 साल निवासी गरोठ, पुलिस थाना गरोठ, जिला मन्दसौर हाल सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना औधौगिक क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) होना बताया। जिसको आरोपी के कहे अनुसार कार्यवाही मे शामिल किया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके पश्चात रिश्वत राशि लिये जाने का उचित संदेह होने पर होटल रॉयल एम्बेसी भीलवाडा के कमरा नंबर 104 के वॉशबेशन से श्री प्रहलाद कुमार स.उ.नि से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया । उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमेला हुआ। जिसे हाजरीन को दिखाने पर मटमेला

रंग होना स्वीकार किया। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क RH-1 व RH 2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन को दिखाने पर गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात श्री केलाश सैनी स.उ.नि. को कमरा नंबर 105 मे मुल्जिम निगरानी हेतु रवाना किया गया। दोनो प्लास्टिक गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। इसके पश्चात आरोपी श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) की तलाषी गवाह श्री राकेश अगवाल से लिवाई गई तो गवाह श्री राकेश अगवाल ने श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की बांयी जेब मे से कुछ रूपये व एक मोबाईल फोन निकाल कर पेश किये। उक्त नोटो को गिनने की कहने पर दोनो गवाहान द्वारा गिनकर 500-500/-रूपये के 100 नोट कुल राशि 50,000/- रूपये होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो गवाहान से उक्त नोटो के नंबरो को मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से करने के लिये कहने पर दोनो गवाह द्वारा उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से कर उक्त नोटो के नंबरो का मिलान हू-ब-हू होना बताया। भारतीय चलन मुद्रा के नम्बर निम्न प्रकार है 1. 500 रूपये का एक नोट 5PP 664119, 2. 500 रूपये का एक नोट 9BE 396978, 3. 500 रूपये का एक नोट 2PP 569471, 4. 500 रूपये का एक नोट 2BB 756117, 5. 500 रूपये का एक नोट 7QU 121446, 6. 500 रूपये का एक नोट 9DH 684779, 7. 500 रूपये का एक नोट 4HA 487795, 8. 500 रूपये का एक नोट 6FR 005992, 9. 500 रूपये का एक नोट 2AD 997402, 10. 500 रूपये का एक नोट 3WN 901608, 11. 500 रूपये का एक नोट 1GH 134312, 12. 500 रूपये का एक नोट 4FP 955684, 13. 500 रूपये का एक नोट 2GH 289102, 14. 500 रूपये का एक नोट 1VU 968248, 15. 500 रूपये का एक नोट 6BN 733342, 16. 500 रूपये का एक नोट 5QD 359493, 17. 500 रूपये का एक नोट 2UE 819671, 18. 500 रूपये का एक नोट 8KB 130281, 19. 500 रूपये का एक नोट 7DN 582031, 20. 500 रूपये का एक नोट 1LQ 823518, 21. 500 रूपये का एक नोट 3EN 365856, 22. 500 रूपये का एक नोट 8TD 482727, 23. 500 रूपये का एक नोट 9VQ 680952, 24. 500 रूपये का एक नोट 7WT 863042, 25. 500 रूपये का एक नोट 0UG 479607, 26. 500 रूपये का एक नोट 8DM 534257, 27. 500 रूपये का एक नोट 3DC 458951, 28. 500 रूपये का एक नोट 9AU 545234, 29. 500 रूपये का एक नोट 8LQ 500291, 30. 500 रूपये का एक नोट 0SC 669336, 31. 500 रूपये का एक नोट 7VL 031265, 32. 500 रूपये का एक नोट 3EH 631299, 33. 500 रूपये का एक नोट 5LS 661796, 34. 500 रूपये का एक नोट 0HA 712414, 35. 500 रूपये का एक नोट 3NT 370233, 36. 500 रूपये का एक नोट 4FW 870037, 37. 500 रूपये का एक नोट 4DC 506975, 38. 500 रूपये का एक नोट 0CM 118323, 39. 500 रूपये का एक नोट 7AC 225173, 40. 500 रूपये का एक नोट 0AK 788907, 41. 500 रूपये का एक नोट 8LG 591686, 42. 500 रूपये का एक नोट 4KH 842556, 43. 500 रूपये का एक नोट 8DW 794487, 44. 500 रूपये का एक नोट 5NQ 243509 , 45. 500 रूपये का एक नोट 2UL 548923, 46. 500 रूपये का एक नोट 2BD 165423, 47. 500 रूपये का एक नोट 6WF 749966, 48. 500 रूपये का एक नोट 6AM 157584, 49. 500 रूपये का एक नोट 8FH 950193, 50. 500 रूपये का एक नोट 5AN 340212, 51. 500 रूपये का एक नोट 4NF 014721, 52. 500 रूपये का एक नोट 1RH 599059, 53. 500 रूपये का एक नोट 8PL 945010, 54. 500 रूपये का एक नोट 5FQ 807894, 55. 500 रूपये का एक नोट 6HV 429427, 56. 500 रूपये का एक नोट 5ED 481001, 57. 500 रूपये का एक नोट 3RQ 798756, 58. 500 रूपये का एक नोट 5TG 308785, 59. 500 रूपये का एक नोट 3TK 401486, 60. 500 रूपये का एक नोट 2HR 910508, 61. 500 रूपये का एक नोट 2KW 908083, 62. 500 रूपये का एक नोट 0GG 091418, 63. 500 रूपये का एक नोट 1CN 148552, 64. 500 रूपये का एक नोट 0AQ 305093, 65. 500 रूपये का एक नोट 5WB 886713, 66. 500 रूपये का एक नोट 0BG 379661, 67. 500 रूपये का एक नोट 2BF 347082, 68. 500 रूपये का एक नोट 8DB 446837, 69. 500 रूपये का एक नोट 8GT 531435, 70. 500 रूपये का एक नोट 8CF 024138, 71. 500 रूपये का एक नोट 5DQ 122258, 72. 500 रूपये का एक नोट 2CN 348620, 73. 500 रूपये का एक नोट 5LG 326851, 74. 500 रूपये का एक नोट 0WD 223147, 75. 500 रूपये का एक नोट 6VF 676763, 76. 500 रूपये का एक नोट 8GG 681780, 77. 500 रूपये का एक नोट 6BP 170982, 78. 500 रूपये का एक नोट 6TE 682624, 79. 500 रूपये का एक नोट 7BN 718062, 80. 500 रूपये का एक नोट 4LH 922620, 81. 500 रूपये का एक नोट 8PG 734826, 82. 500 रूपये का एक नोट 7GR 078049, 83. 500 रूपये का एक नोट 6NB 600689, 84. 500 रूपये का एक नोट 9DQ 840444, 85. 500 रूपये का एक नोट 6UK 731230, 86. 500 रूपये का एक नोट 4BG 872071, 87. 500 रूपये का एक नोट 2BK 071079, 88. 500 रूपये का एक नोट 2PL 656246, 89. 500 रूपये का एक नोट 9MH 870063, 90.

500 रूपये का एक नोट 7PP 158659, 91. 500 रूपये का एक नोट 9UQ 885496, 92. 500 रूपये का एक नोट 6DP 936604, 93. 500 रूपये का एक नोट 3NN 840660, 94. 500 रूपये का एक नोट 8NC 597165, 95. 500 रूपये का एक नोट 4EV 559849, 96. 500 रूपये का एक नोट 0QG 575084, 97. 500 रूपये का एक नोट 6RV 035971, 98. 500 रूपये का एक नोट 4LK 216731, 99. 500 रूपये का एक नोट 8RC 235157, 100. 500 रूपये का एक नोट 5FC 034064 उक्त सभी नोटो को एक कागज के लिफाफे मे रखकर एक सफेद कपडे की थैली मे सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क N अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। मोबाईल आरोपी श्री तपेश गोसाई के पास रखवाया गया। तत्पश्चात कमरा नंबर 104 मे आरोपी श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म. प्र.) के रखे हुए बैग मे से कानि श्री शिवराज सिंह कानि 235 से एक पेन्ट निकलवाई गई। आरोपी श्री तपेश गौसाई की शरीर पर पहनी हुई वर्दी की पेन्ट बरंग खाकी को ससम्मान उतरवाकर अन्य पेन्ट पहनाई गई। इसके पश्चात कमरो नंबर 104 के वॉशबेशन से श्री प्रहलाद कुमार स.उ.नि से साफ पानी मंगवाया गया तथा एक प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) के शरीर पर पहने हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की बांयी जेब को उलटवा कर उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास मे डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन को दिखाने पर गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर चिट व कपड़े पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। प्लास्टिक गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। इसके पश्चात आरोपी श्री तपेश गोसाई के वर्दी की पेन्ट बरंग खाकी की जेब जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई कि जेब को सूखवा कर जेब पर संबधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त वर्दी की पेन्ट बरंग खाकी को सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री तपेश गोसाई को परिवादी के भाई से संबधित पत्रावली के बारे मे पूछा तो श्री तपेश गोसाई ने बताया कि परिवादी के भाई मोहम्मद लियाकत के विरूद्व पुलिस थाना औधोगिक क्षैत्र रतलाम मे प्रकरण संख्या 462/2026 धारा 318(4) बी.एन.एस. 2023 मे दर्ज होकर प्रकरण मे मुल्जिम श्री मोहम्मद लियाकत पुत्र श्री शफी मोहम्मद को दिनांक 26.06.2026 को गिरफतार किया गया था। श्री मोहम्मद लियाकत पी.सी. मे चल रहा है। कल दिनांक 28.06.2026 को मैं व मेरे साथ श्री कैलाश सैनी स.उ.नि. व श्री विजय कुमार आरक्षक नंबर 430 मय मुल्जिम तथा प्राईवेट गाडी मय चालक से भीलवाडा आये तथा आज दिनांक 29.06.2026 को आरोपी की चल अचल संपति की जानकारी हेतु नगर विकास न्यास भीलवाडा, नगर निगम भीलवाडा व उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा मे तहरीर दी गई व आरोपी का बैक स्टेटमेन्ट प्राप्त किये गये। प्रकरण की पत्रावली कमरा संख्या 104 मे रखी टेबल के उपर से प्रस्तुत की। उक्त पत्रावली की अवलोकन किया गया तो उक्त प्रकरण का अनुसंधान श्री तपेश गौसाई के नाम होना पाया गया तथा प्रकरण के अनुसंधान हेतु मय गिरफतारशुदा मुल्जिम मोहम्मद लियाकत को पी.सी. रिमांड लेकर भीलवाडा आना पाया गया। चूकि उक्त प्रकरण मे आरोपी मोहम्मद लियाकत गिरफतार होकर पी.सी. रिमांड मे चल रहा है। पी.सी. रिमांड की अवधि दिनांक 30.06.2026 को समाप्त होने वाली है। एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जरिये दूरभाष पुलिस अधीक्षक रतलाम (म.प्र.) से वार्ता कर मुल्जिम को मय पत्रावली के प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक रतलाम (म.प्र.) ने अतिशीघ्र किसी अधिकारी को भिजवाने हेतु कहा गया। इसके पश्चात श्री तपेश गौसाई प्रधान आरक्षी नंबर 212 को परिवादी से आज सुबह 10000 रूपये ग्रहण करने बाबत पुछा गया तो आरोपी ने बताया कि मेने परिवादी मोहम्मद सराफत से किसी भी प्रकार कि रिश्वत राशि ग्रहण नही कि यह झुठ बोल रहा है जिस पर पास ही खडे परिवादी ने आरोपी तपेश गौसाई प्रधान आरक्षी नंबर 212 कि बात का खण्डन के बताया कि आज सुबह मैने तपेश गौसाई को 10000 रूपये दिये थे। आरोपी श्री तपेश गौसाई को प्राप्त कि गई रिश्वत राशि 50000 रूपये में से अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी का हिस्सा होने बाबत पुछा गया तो आरोपी तपेश गौसाई ने बताया कि उक्त राशि में से किसी अधिकारी/कर्मचारी का हिस्सा नही होना बताया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री मोहम्मद शराफत पूर्व मे रिश्वत राशि लेन देन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाह एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री मोहम्मद शराफत व आरोपी श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) के मध्य रिश्वत लेन देन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं पैनड्राईव अकब से तैयार करवायी जायेगी। इसके पश्चात श्री कैलाश सैनी स.उ.नि. व श्री विजय कुमार आरक्षक नंबर 430 मय मुल्जिम मोहम्मद लियाकत व प्राईवेट गाडी के चालक के बारे मे पूछा तो श्री तपेश गौसाई ने बताया कि उक्त सभी कमरा नंबर 105 मे बैठे है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कमरा नंबर 105 मे जाकर देखा गया तो उक्त सभी उक्त कमरे मे मौजुद होना पाये गये। उक्त फर्द बरामदगी टंकण समय 07.05 पी.एम. से प्रारंभ होकर समय 10.45 पी.एम. पर सम्पन्न होकर एसीबी कार्यालय के सरकारी लेपटाप पर श्री प्रेमराज कानि 225 से तैयार करवायी गई। उक्त कार्यवाही की श्री नारायण लाल कानि से विडियोग्राफी बीएनएसएस की

उपबंधित प्रावधानो के अनुक्रम करवायी गई, जिसका मेमोरी कार्ड एवं पैनड्राईव शीघ्र पेश करने हेतु श्री नारायण लाल कानि को अकब से पेश करने की हिदायत की गई। कार्यवाही के दौरान प्रकाश की उचित व्यवस्था रही। फर्द पृथक से तैयार कर संबधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.21. पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री तपेश गोसाई पुत्र स्व. श्री ललन गोसाई, उम्र 40 वर्ष निवासी पत्रकार कॉलोनी, जावरा पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.) हाल प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 11.30. पी.एम पर पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) के प्रकरण संख्या 462/2026 दिनांक 14.05.2026 धारा 318(4) बी.एन.एस. की मूल पत्रावली व गिरफतारशुदा अभियुक्त मोहम्मद लियाकत को श्री कैलाश सैनी स.उ.नि. को सिपूर्द किया गया, तथा हिदायत दी गई की रतलाम से कोई भी अधिकारी के आने पर उक्त प्रकरण की प्रमाणित फोटो प्रतियां अतिशीघ्र कार्यालय मे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 30.06.2026 समय 12.30 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मय जप्तशुदा आर्टीकिल्स मय प्राईवेट वाहन बाद ट्रैप कार्यवाही के एसीबी कार्यालय भीलवाडा द्वितीय के लिये रवाना हुआ। समय 12.40 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मय जप्तशुदा आर्टीकल्स मय प्राईवेट वाहन बाद ट्रैप कार्यवाही के एसीबी कार्यालय भीलवाडा द्वितीय पहॅुचा। समय 01.30 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे गये डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकाल कर दिनांक 29.06.2026 को परिवादी श्री मो. शराफत व आरोपी श्री तपेष गोसाई प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता एवं मोबाईल पर परिवादी के मोबाईल नं   से म.प्र. पुलिस के मो.न.   पर परिवादी के भाई मो. लियाकत से हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है। उक्त रिकॉर्ड वार्ता के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को चलाकर सुना गया, जिसमें परिवादी श्री मो. शराफत ने एक अपनी आवाज होना तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री तपेश गोसाई प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है। उक्त रिकॉर्ड वार्ता के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को चलाकर सुना गया, जिसमें परिवादी श्री मो. शराफत ने एक अपनी आवाज होना तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री तपेश गोसाई प्रधान आरक्षी नंबर 212 की होना पहचान की, रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-बशब्द सुन-सुनकर श्री शिवराज सिंह कानि 235 से तैयार करवाई गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस/ मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री शिवराज सिंह कानि 235 से कनेक्ट करा वार्ता के कुल तीन पेनड्राईव 64 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी स्टील बॉडी के तैयार किये गये। जिसमें से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये तथा न्यायालय हेतु पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-1 दिया गया, आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-2 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सभी सिल्ड् पैकेट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क M दिया गया। फर्द ट्रान्सस्किप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील अंकित की गई। फर्द समय 01.30 ए.एम से प्रारम्भ होकर समय 03.50 ए.एम. पर समाप्त की गई। समय 04.00 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 29.06.2026 को परिवादी श्री मो. शराफत व आरोपी श्री तपेश गोसाई प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है। उक्त रिकॉर्ड वार्ता के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को चलाकर सुना गया, जिसमें परिवादी श्री मो. शराफत ने एक अपनी आवाज होना तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री तपेश गोसाई प्रधान आरक्षी नंबर 212 की होना पहचान की, रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-ब शब्द सुन-सुनकर श्री शिवराज सिंह कानि 235 से तैयार करवाई गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस/मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री शिवराज सिंह कानि 235 से कनेक्ट करा वार्ता के कुल तीन पेनड्राईव 64 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी स्टील बॉडी के तैयार किये गये। जिसमें से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये तथा न्यायालय हेतु पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-3 दिया गया, आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड

मोहर कर मार्क PD-4 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सभी सिल्ड् पैकेट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को उसी कंवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क M-1 दिया गया। फर्द ट्रान्सस्किप्ट लेन देन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील अंकित की गई। फर्द समय 04.00 ए.एम से प्रारम्भ होकर समय 07.00 ए.एम. पर समाप्त की गई। समय 08.15 ए.एम. पर श्री विनोद कटारा, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) मय श्री कैलाश सैनी सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) ने कार्यालय मे उपस्थित होकर ट्रैप कार्यवाही विरूद्ध श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) मे प्रकरण 462/2026 दिनांक 14.05.2026 धारा 318(4) बी.एन.एस. 2023 पुलिस थाना औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) की मूल पत्रावली लाकर प्रस्तुत की, पत्रावली का अवलोकन किया गया तो उक्त प्रकरण का अनुसंधान आरोपी श्री तपेश गौसाई के जिम्मे होना पाया गया। प्रकरण की मूल पत्रावली की फोटो प्रति कार्यालय की फोटो कॉफी मशीन से करवायी जाकर उक्त फोटो प्रति को श्री विनोद कटारा, सहायक उपनिरीक्षक से प्रमाणित करवाया गया। उक्त पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 से 229 तक पायी गई। उक्त फोटो प्रतियो की ट्रैप कार्यवाही मे आवश्यकता होने से प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी ली गई व फर्द पेशकशी बनायी गई। मूल पत्रावली श्री विनोद कटारा, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना औधौगिक क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) को आरोपी श्री मोहम्मद लियाकत पुत्र श्री शफी मोहम्मद का पी.सी. रिमाण्ड पेश करने हेतु सिपूर्द की गई। फर्द समय 08.15 ए.एम. से प्रारम्भ होकर समय 08.30 ए.एम पर समाप्त की गई। फर्द पृथक से तैयार कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.30 ए.एम पर बी.एन.एस.एस. की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार ट्रैप कार्यवाही के दौरान मौके पर श्री नारायण लाल कानि 53 से विडियोग्राफी करवायी गयी थी। श्री नारायण लाल कानि 53 की मदद से सरकारी लेपटॉप पर कनेक्ट कर उक्त विडियो के तीन पेनड्राईव तैयार करवाये गये। दो पेनड्राईव को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क C-1 न्यायालय हेतु एंव आरोपी हेतु C-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखा गया। विडियोग्राफी के मूल मेमोरी कार्ड की श्री नारायण लाल कानि 53 की मदद से हैसवैल्यू निकलवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। समय 01.00 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) मे श्री नारायण लाल कानि 53 से दौराने सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की करवाई गई विडियोग्राफी का मूल मेमोरी कार्डस SanDisk कम्पनी 64 जीबी का मेमोरी कार्ड के कागज के कंवर में रख कर सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल चिट किया जाकर मार्क M-2 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गये। समय 01.30 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमुना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर नष्ट की गई। फर्द नमुना व नाशानी नमुना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। जप्तशुदा आईटम जमा मालखाना करवाया। समय 02.15 पी. एम पर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाह को बाद ट्रैप कार्यवाही रूखस्त किया गया। धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री तपेश गोसाई, प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) द्वारा एक लोकसेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री मोहम्मद शराफत के भाई मोहम्मद लियाकत के विरूद्ध पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) मे दर्ज प्रकरण संख्या 462/2026 धारा 318(4) बी.एन.एस. 2023 मे प्रकरण मे मुल्जिम श्री मोहम्मद लियाकत पुत्र श्री शफी मोहम्मद के साथ मारपीट नही करने एवं उक्त प्रकरण मे गिरफतार शुदा मुल्जिम श्री मोहम्मद लियाकत की मदद करने की एवंज मे दिनांक 29.06.2026 को 1.10 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा 10,000 रूपये परिवादी से दिनांक 29.06.2026 को सुबह ही ग्रहण करना तथा अपनी मांग के अनुसरण में शेष रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये मे से 50,000 रूपये रिश्वत राशि अपने बांये हाथ से लेकर अपने शरीर पर पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की बांयी जेब मे रखना, जहां से रिश्वत राशि 50,000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रमाणित पाया गया। प्रकरण में दिनांक 29.06.2026 को परिवादी के मोबाईल पर श्री कैलाश सैनी सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना औधौगिक क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) के मोबाईल नंबर से परिवादी के मो.न. पर फोन आया। फोन पर हुई वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड हुई वार्ता अनुसार परिवादी के भाई मोहम्मद लियाकत शेख ने श्री कैलाश सैनी के उक्त मोबाईल पर बात की तथा परिवादी को नगर निगम भीलवाडा से फ्री होकर एम.जी.एच. भीलवाडा मे मेडीकल करवाने की बताया तथा परिवादी को अतिशीघ्र राशि की व्यवस्था करने हेतु कहा गया तथा वार्ता में परिवादी द्वारा कहा गया कि मेरी दिवान साहब से वार्ता कराओ तो परिवादी के भाई ने कहा कि दिवान साहब पीछे खडे सुन रहे है और फोन पुलिस जाप्ते को दे दिया। जिस पर अगले वार्ता करने वाले ने अपने आप को एएसआई बताया जिसको परिवादी ने कहा कि मुझे राशि की व्यवस्था करने में समय लग रहा है, जिस पर एएसआई द्वारा कहा गया कि हमे भी समय लगेगा। श्री कैलाश सैनी सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना

औधौगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) की प्रकरण भूमिका के संबध मे अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट की जायेगी। आरोपी का सेवा विवरण रिकॉर्ड कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक रतलाम म.प्र. से जरिये पत्रांक 2026 दिनांक 01.07.2026 को प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः आरोपी श्री तपेश गोसाई पुत्र स्व. श्री ललन गोसाई, उम्र 40 वर्ष निवासी बी-81 टी.आई.टी कांलोनी, महावीर रोड नीमच हाल पत्रकार कॉलोनी, जावरा पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.) हाल प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान की सेवामे सादर प्रेषित है।भवदीय(नरपत सिंह चारण) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-द्वितीय…………..कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत सिंह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री तपेश गोसाई पुत्र स्व. श्री ललन गोसाई, उम्र 40 वर्ष निवासी बी-81 टी.आई.टी कांलोनी, महावीर रोड नीमच हाल पत्रकार कॉलोनी, जावरा पुलिस थाना औधोगिक क्षैत्र जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.) हाल प्रधान आरक्षी नंबर 212, पुलिस थाना औधौगिक क्षैत्र रतलाम (म.प्र.)के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ब्यावर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 45 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1064-67 दिनांक 03.07.206 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा 2- पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJVEER SINGH CHAMPAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 03/07/2026 15:04:56

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)